फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री प्रभुलाल पिता श्री अमरचन्द बैरवा निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 06/2019**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.02.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांकः—प.1( )सू.अ., 05/2019/114—115 दिनांक 05.02.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलांट का आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 12.10.2018 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांदित सूचना ग्राम विकास अधिकार, ग्राम पंचायत गिलूण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांकः—प.1 ( )सू.अ.,05/2018/819—820 दिनांक 12.10.2018 को प्रेषित किया गया। प्रार्थी/अपीलांट के आवेदन पत्र को जिस दिन कार्यालय/अनुभाग को प्राप्त हुआ आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर चाही गयी सूचना अन्य विभाग की होने से उसी दिन संबंधित विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 की धारा 6(3)(I)(II) के तहत अन्तरण कर भिजवाय गया तथा प्रार्थी/अपीलार्थी को भी सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्टानुसार चाही गई वांछित सूचना ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गिलूण्ड तहसील रेलमगरा की होने से सूचना का अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(I)(II) में विधिवत अन्तरण करते हुए प्रार्थी को भी सूचित किया गया है। अतः अपील को वर्णित तथ्यों के मध्यनजर इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। साथ ही प्रार्थी अपीलार्थी को सूचित किया जाता है की ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गिलूण्ड की प्रथम अपील सुनने का श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है।	

कार्यालय जिला कलक्टर

प्रार्थी अपीलार्थी चाहे तो नियमानुसार प्रथम अपील सरपंच, ग्राम पंचायत गिलूण्ड पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत कर चाही गई सूचना के लिये अनुतोष प्राप्त करे। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द व अपीलार्थी को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द

जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)